न्यायालय मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर (म॰प्र॰)

निगरानी 35-III/10

मेसर्स राकेश एजेन्सी द्वारा भागीदार ओम प्रकाश बंसल तनय स्व॰ श्री भरतलाल बंसल निवासी ग्राम जैतवास तहसील मझगवां, जिला सतना (म॰प्र॰) ....अपीलाण्ट

बनाम

1. रामचंद्र बंसल तनय स्व॰ श्री हीरालाल बंसल निवासी ग्राम जैतवारा तहसील मझगवां,, जिला सतना (म॰प्र॰)
2. स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश .... रेस्पाण्डेंटगण

श्री एन॰के॰ वाजपेयी - एडवोकेट 8-1-10 को प्रस्तुत।

अपील विरूद्ध निर्णय व आदेश आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 201/अपील/01--02 मे पारित आदेश दिनांक 27–10–2009।

द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 44 (2) म॰प्र॰ भू--राजस्व संहिता सन् 1959 ई0

शासकीय अधिवक्ता, राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

मान्यवर,

अपील के आधार निम्नलिखित है :

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–10–2009 एवं कलेक्टर साहब सतना द्वारा पारित आदेश दिनांक 05–06–2002 का वह अंश जिसके विरूद्ध अपीलाण्ट ने आयुक्त महोदय के समक्ष आंशिक अपील प्रस्तुत की थी, विधि प्रक्रिया एवं प्रकरण में आये तथ्यों, रिकार्डो तथा साक्ष्यों के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

2. यह कि कमिशनर महोदय ने नक्शा तरमीम के बिदुंओ पर न तो दस्तावेज देखा और न ही तर्कों पर विचार किया और ऐसे किए बगैर जो आदेश किया है वह निरस्त योग्य है।

3. यह कि आयुक्त महोदय के समक्ष अपीलाण्ट ने कलेक्टर साहब द्वारा पारित आदेश दिनांक 05–06–2002 के आदेश में उन तथ्यों एवे निष्कर्षो के विरूद्ध जिसमें अपीलण्ट के विरूद्ध बिना कारण एवं आधार के निकाले गए हैं, प्रस्तुत किया था, किंतु आयुक्त महोदय ने अपीलाण्ट एवं रेस्पाडेंट द्वारा कलेक्टर साहब के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत दो पृथक–पृथक अपीलों का निराकरण एक साथ संयुक्त रूप से करके जिन निष्कर्षों एवं आधारों पर प्रश्नाधीन आदेश पारित किया है वह किसी भी प्रकार से न्यायिक एवं विवेचनापूर्ण आदेश नही है, क्योंकि अपीलाण्ट एवं रेस्पाडेंट द्वारा

R-35-III/10 सतना

29/7/16 आवेदक अभि० श्री - एस०के० वाजपेयी-
उप० / इनका कहना है कि यह प्रकरण
[illegible] आगे यह प्रकरण
चलाना नहीं चाहते हैं। अतः प्रकरण नोट-
[illegible] समाप्त किया जाता है।

[illegible]